कार्यालय मध्य वृत्त, वन विभाग, रेल्वे स्टेशन रोड, जबलपुर (म0 प्र0) – 482 001
दूरभाष–0761–2624341,फैक्स–0761–2625688 ई–मेल ccf.jbp@mp.gov.in

क्र0 / मा0चि0 / 723 जबलपुर, दिनांक 24 / 01 / 2020

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी,
पश्चिम सामान्य वन मण्डल
मण्डला।

विषय :– मण्डला जिले में Jio digital Fibre Pvt. Ltd द्वारा Nainpur-Lamta route में ओ0एफ0सी0 लाईन डालने हेतु 0.25 हे0 वनभूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बाबत। (प्रकरण क्र0 / FP/MP/OFC /42712/2019)

संदर्भ :– आपका पत्र क्र0 / मा0चि0 / 76 दिनांक 20.01.2020

उपरोक्त विषय में संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसके द्वारा परिक्षेत्र बम्हनी के कक्ष क्र0 94ए. ओ–23, 93बी. 92, 89 एवं 90 कुल 0.296 हे0 वनक्षेत्र में रिलॉयन्स जियों इन्फोकॉम लिमिटेड, भोपाल द्वारा नैनपुर से लामता रोड के किनारे आप्टिकल फाईबर केबिल लाईन बिछाने के अनुमति हेतु जिला आवेदक संस्था से प्राप्त प्रस्ताव स्वीकृति जारी करने के पूर्व इस कार्यालय के अनुमोदन हेतु लेख किया गया है ।

म0प्र0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक / एफ–5–11 / 2006 / 10–3 दिनांक 31.05.2014 के बिन्दु क्रमांक viii एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) भोपाल के पत्र क्र0 / एफ–5 / विविध / 2019 / 10–11 / 3649 दिनांक 13.11.2019 के अनुसार इस कार्यालय का अनुमोदन दिया जाता हैं । संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव मूलतः संलग्न हैं । प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें ।

सहपत्र :– उपरोक्तानुसार ।

(आर0डी0महला, भा0व0से0)
मुख्य वन संरक्षक
मध्यवृत्त जबलपुर
23/1/2020

O/C